नए उत्पादक संगठनों (पीओ) के संवर्धन और पोषण हेतु पात्र गतिविधियाँ और अनुदान सहायता की मात्रा

Eligible Activities & Quantum of Grant Support for Promotion & Nurturing of new POs

नए पीओ के संवर्धन, पोषण और हैंडहोल्डिंग हेतु आवश्यकता-आधारित अनुदान सहायता पर मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा. सहायता हेतु निम्नलिखित गतिविधियां पात्र हैं.

Need-based grant assistance for promotion, nurturing and handholding of new POs will be considered for sanction. The following activities are eligible for support:

i. प्राथमिक उत्पादकों का एकत्रीकरण करना
Mobilization of Primary Producers

उत्पादन संगठनों का संवर्धन करने वाली संस्था (पीओपीआई) द्वारा किए गए नैदानिक और व्यवहार्यता अध्ययनों और बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर विशेष क्लस्टर, पण्य (कमोडिटी), बाजार, प्रसंस्करण/ भंडारण इकाइयों आदि के आसपास उत्पादकों को एकत्रित करें और पीओ में संगठित करने हेतु पर्याप्त जागरूकता का सृजन करें. मौजूदा किसान क्लब, एसएचजी, जेएलजी, ग्राम वाटरशेड समितियों, जनजाति विकास निधि (टीडीएफ़) परियोजनाओं की ग्राम आयोजना समितियों, दुग्ध सहकारी समितियों, निष्क्रिय पैक्स, अन्य ब्याज समूहों आदि को पीओ में संगठित करने हेतु विचार किया जाएगा. पीओपीआई द्वारा चयनित क्षेत्र/ फसल क्लस्टर/ चिन्हित गतिविधि के प्राथमिक उत्पादकों की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि पीओ की अवधारणा और कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता का सृजन किया जा सके और पीओ के कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके. इस तरह की जागरूकता/ एकत्रीकरण गतिविधियों पर प्रारंभिक खर्चों को कवर करने हेतु, प्रति पीओ रु.30000/- की अधिकतम अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी.

शेयरधारक सदस्यता के लिए एफपीओ प्रगति के संबंध में पीओपीआई को डिलिवरेबल निम्नानुसार हैं:

Based on the diagnostic & feasibility studies and the baseline survey conducted by POPI, the producers around a particular cluster, commodity, market, processing/ storage units, etc. may be mobilized and adequate awareness created for organizing into POs. Existing Farmers' Clubs, SHGs, JLGs, Village Watershed Committees, Village Planning Committees of TDF projects, Dairy Co-operative Societies, inactive PACS, other interest groups, etc. could be considered for organizing them into a PO. Monthly meeting of the primary producers of the selected area/crop cluster/ identified activity would be organized by POPI to create awareness on concept & functioning of PO and to induce transparency in the functioning of the PO. To cover the initial expenses on such awareness / mobilization activities, a maximum grant support of Rs. 30000/- per PO shall be provided.

Deliverables to POPI in terms of FPO progress for shareholder membership are as under:

वर्ष के अंत में	**"दुर्गम" क्षेत्र** **"Difficult" Areas**	**" अन्य" क्षेत्र** **"Other" Areas**

End of year		
तीसरा 3rd	200	400
पाँचवाँ 5th	350	700

तथापि, एकल पण्य उत्पादकों हेतु संवर्धित पीओ (जैसे कपास उत्पादकों के एफ़पीओ, बासमती चावल उत्पादकों के एफ़पीओ, आम या अंगूर या कोई एकल फल उत्पादकों के एफ़पीओ) के संबंध में, या एकल गतिविधि (जैसे डेयरी किसानों, कुक्कुट पालन करने वालों, मत्स्य पालन करने वाले किसानों, मधुमक्खी पालन करने वालों, लाख (लाह) की खेती करने वाले किसानों, रेशम कीट पालन करने वालों आदि) के साथ संव्यवहार करने के लिए, जहाँ मौजूद उत्पादन क्लस्टरों में प्राथमिक उत्पादकों/ किसानों की संख्या प्राथमिक उत्पादकों/ किसानों की उपयुक्त निर्धारित संख्या से कम है, लेकिन पीओ में उनके संग्रहण से क्लस्टर में बोधगम्य प्रभाव का सृजन होना अपेक्षित है, ऐसे पीओ में न्यूनतम शेयरधारक/ सदस्यता संख्या, जो इसके परिचालन और/ या वित्तीय संधारणीयता को प्रभावित नहीं करती है, पर, क्षेत्रीय कार्यालय के पीएससी द्वारा विचार-विमर्श और अनुमोदन किया जाएगा जो पीओपीआई के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर किया जाएगा. तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम सदस्यता संख्या "दुर्गम क्षेत्र" में 100 और "अन्य क्षेत्रों" में 200 होगी. इसे पीओपीओ को सैंगशन कम्यूनिकेशन में विनिर्दिष्ट किया जाएगा.

However, in respect of POs promoted for single commodity producers (such as FPO of cotton growers, FPO of Basmati Rice Growers, FPO of mango or grape or any single fruit growers), or dealing with a single activity (such as PO of dairy farmers, poultry growers, fish farmers, bee-keepers, lac cultivators, silkworm rearers, etc.), where the existing production clusters have less than the above stipulated number of primary producers / farmers, but their collectivization into a PO is expected to create perceptible impact in the cluster, the minimum shareholder / membership size in such PO, which may not impact its operations and/or financial sustainability, may be deliberated and approved by the PSC of the RO, while considering the proposal of the POPI. However, it may be ensured by the RO that the minimum membership size shall be 100 in "Difficult Area" and 200 in "Other Areas". The same shall be specified in the Sanction communication to the POPI.

(क) ऐसे छोटे एफपीओ हेतु पात्र अनुदान सहायता "अन्य क्षेत्रों" में रु.13.08 लाख है और "दुर्गम क्षेत्रों" में रु.10.405 लाख है, क्षेत्र की श्रेणी पर ध्यान दिए बिना संवर्धित एफ़पीओ के लिए व्यवसाय विकास सहायता के रूप में रु.3.00 लाख की अधिकतम अनुदान सहायता को छोड़कर, जिसे अलग से मंजूरी दी जा सकती है.

(a) The eligible grant assistance for such small FPOs is Rs.13.08 lakh in "Other Areas" and Rs.10.405 lakh in "Difficult Areas", excluding a maximum grant assistance of Rs. 3.00 lakh towards Business Development Assistance for the FPOs promoted, irrespective of the category of the area, which may be sanctioned separately.

(ख) क्षेत्र की श्रेणी पर ध्यान दिए बिना संवर्धित एफ़पीओ के लिए "दुर्गम क्षेत्र" और "अन्य क्षेत्र" में क्रमशः 350 और 700 की न्यूनतम सदस्यता के साथ सामान्य एफ़पीओ हेतु पात्र अनुदान सहायता रु.16.60 लाख (व्यवसाय विकास सहायता हेतु रु.5.00 लाख की अधिकतम सहायता को छोड़कर, जिसे अलग से मंजूरी दी जा सकती है.) के रूप में अपरिवर्तित रहेगी. एफ़पीओ प्रशासनिक खर्चों हेतु पात्र अनुदान सहायता में सीईओ पारिश्रमिक और सीए/ सीएस/ लेखापरीक्षा शुल्क शामिल है. पीओपीआई द्वारा पीओपी की शेयरधारक सदस्यता में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना आवश्यक है जिसे 5 वर्षों की अवधि में इसके द्वारा संवर्धित और पोषित किया जा रहा है. न्यूनतम सदस्यता मानदंड की उपलब्धि निम्नानुसार है:

(b) The eligible grant assistance for normal FPOs with a minimum membership of 350 and 700 in "Difficult Areas" and "Other Areas", respectively, to be attained remains unchanged as Rs.16.60 lakh (excluding a maximum grant assistance of Rs. 5.00 lakh towards Business Development Assistance, which may be sanctioned separately) for the FPOs promoted irrespective of the category of the area. The eligible grant assistance towards FPO administrative expenses involves towards CEO Remuneration and towards CA/CS/ Audit charges. It is necessary by the POPI to ensure continuous growth in the shareholder membership of the PO promoted and being nurtured by it over the period of 5 years. The achievement of minimum membership norm is as under:

वर्ष के अंत में **End of the year**	**दुर्गम क्षेत्र** **Difficult Areas**	**अन्य क्षेत्र** **Other Areas**
पहला 1st	50	100
दूसरा 2nd	125	250
तीसरा 3rd	200	400
चौथा 4th	275	550
पाँचवाँ 5th	350	700

यदि पीओ में न्यूनतम सदस्यता उपर्युक्त के रूप में प्राप्त नहीं की जाती है, तो उस वर्ष के लिए पीओपीआई हेतु प्रोत्साहन के केवल एक हिस्से पर विचार किया जाएगा.

If the minimum membership in a PO is not achieved as above, only a part of the incentive to the POPI for that year shall be considered .

ii. स्थापना और पंजीकरण

Establishment & Registration

संभावित क्लस्टर में गठित पीओ को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 या संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है. ट्रस्ट अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत पीओ पीओडीएफ-आईडी से कवरेज के लिए पात्र नहीं है. नाबार्ड (क्षे.का) द्वारा मंजूर केवल नए एफपीओ प्रस्ताव और उसके बाद हुए एफपीओ के वास्तविक गठन और पंजीकरण पीओडीएफ-आईडी के तहत पात्र हैं. राज्य/ केंद्र सरकार या किसी एजेंसी की किसी भी योजना के तहत पहले से संवर्धित एफपीओ और/ या पहले से पंजीकृत एफपीओ पीओडीएफ-आईडी के तहत पात्र नहीं हैं. अधिमानित कानूनी संरचना/ संविधि के अनुसार उपयुक्त प्रबंधन स्थापित करने की लागत, सांविधिक/ गैर-सांविधिक अनुपालन आदि सहित पंजीकरण शुल्क वास्तविक व्यय के अनुसार सहायता हेतु पात्र होंगे, जो प्रति पीओ अधिकतम रु.40000/- के अधीन होगी. पंजीकरण के समय पीओ में मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारकों/ शेयरधारक सदस्यों की न्यूनतम संख्या 'दुर्गम क्षेत्रों' में 50 और 'अन्य क्षेत्रों' में 100 होगी.

The PO formed in the potential cluster is required to be registered either under the Indian Companies Act, 2013 or under the Cooperative Societies Acts of the respective State. PO registered under Trust Act or any other Act is not eligible for coverage from PODF-ID. Only the new FPO proposals sanctioned by NABARD (RO) and the actual formation and registration of FPO occurred thereafter are eligible under PODF-ID. FPOs promoted earlier under any scheme of State / Central Government or of any agency and / or already registered are not eligible under PODF-ID. The cost of establishing appropriate management as per preferred legal structure/ statute, registration charges, including statutory/ non-statutory compliances, etc., will be eligible for support as per actual expenses, subject to a maximum of Rs. 40000/- per PO. Minimum number of shareholders / shareholder members having voting rights in the PO shall be 50 in 'Difficult Areas' and 100 in 'Other Areas'at the time of registration.

iii. एफ़पीओ के निदेशक मंडल (बीओडी) / शासीय निकाय के लिए प्रशिक्षण

Training to Board of Directors (BoDs) / Governing Body of FPOs

बैंकिंग संस्थाओं के केवल गैर-चूककर्ताओं को एफपीओ के शासीय निकाय/ बोर्ड के सदस्यों/ निदेशकों के रूप में नामित या चयनित किया जाएगा. बोर्ड के निदेशकों/ शासीय निकाय के सदस्यों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें एफपीओ की कार्यपद्धति, एफपीओ की कानूनी संविधि के आधार पर निर्भर इसकी संगठनात्मक संरचना, व्यवसाय परिचालन और प्रबंधन (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, निर्यात, गुणवत्ता मानक, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण आदि सहित), मार्केट लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज, कानूनी संविधि के अनुसार पीओ की कार्यपद्धति के कानूनी पहलुओं विनियामक अनुपालन, सुशासन पद्धतियों, पारदर्शिता और जवाबदेही, दृष्टि निर्माण, नेतृत्व विकास, संचार कौशल आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एफपीओ के विकास के चरण, उपज के विपणन की संभाव्यता, पीओ द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रस्तावित परिचालनों की प्रकृति/ विभिन्नता आदि के आधार पर उपयुक्त समय पर आयोजित किए जाते हैं. नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के परामर्श में नामित संसाधन सहायता एजेंसी/ बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) या किसी अन्य प्रतिष्ठित एजेंसी की सहायता के साथ ग्रुप मोड में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पीओपीआई को अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी.

Only non-defaulters of banking institutions shall be nominated or elected as Governing Body / Board Members / directors of the FPO. The Board Directors / Governing Body

Members shall be trained periodically, with focus on areas like functioning of the FPO, its organizational structure depending on its legal statute, business operations and management (including online platforms, exports, quality standards, value addition and processing, etc.) market linkages, credit linkages, legal aspects of functioning of the PO as per its legal statute, regulatory compliances, good governance practices, transparency & accountability, vision building, leadership development, communication skills, etc. These training programmes are organised at appropriate times, depending on the stage of growth of the FPO, potential for marketing of the produce, nature / diversity of operations proposed to be handled by the PO, etc. The grant assistance will be provided to POPI for organising training in a group mode with the help of designated Resource Support Agency / Bankers' Institute of Rural Development (BIRD) or any other reputed agency, in consultation with RO of NABARD.

iv. सीईओ को पारिश्रमिक के रूप में अनुदान सहायता
Grant Support towards Remuneration of CEO

पीओ के निदेशक मंडल/ शासीय निकाय दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करने, व्यवसाय योजना बनाने, वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने सहित, मानव संसाधन प्रबंधन, लेखा जोखा रखने, सांविधिक अनुपालन करने आदि के लिए व्यावसायिक सीईओ (अधिमानतः, कृषि में स्नातक या पीओ / कृषि-व्यवसाय विशेषज्ञ के उत्पाद की प्रकृति या परिचालन से संबंधित विषय में स्नातक) को नियुक्त करेगा. प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि के दौरान सीईओ के मासिक पारिश्रमिक को आंशिक रूप से कवर करने हेतु अनुदान सहायता टेपरिंग बेसिस पर प्रदान की जाएगी जिसे निष्पादन समीक्षा/ आवश्यकता के आधार पर अगले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है.

The Board / Governing Body of PO shall appoint a professional CEO (preferably, a graduate in agriculture or subject related to the nature of product or operations of the PO/ agri-business expert) to manage day to day activities, undertake business planning, including mobilisation of financial resources, HR management, book keeping, statutory compliances, etc. Grant support to partially cover monthly remuneration of the CEO during initial three years period will be provided on a tapering basis, which may be extended for another two years period, based on the performance review / need.

v. व्यवसाय योजना की तैयारी
Preparation of Business Plan

पीओ की संधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु, पीओपीआई के साथ परामर्श से पीओ द्वारा न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त/ निधीयन के स्रोतों की पहचान करते हुए एक मजबूत "व्यवसाय योजना" तैयार की जाएगी. पीओ की व्यवसाय योजना का पुनरीक्षण प्रस्ताव की मंजूरी की तिथि से एक वर्ष के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाना

चाहिए और इसकी एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय में रखी जानी चाहिए. व्यवसाय योजना की तैयारी के लिए खर्चों को कवर करने हेतु प्रति पीओ रु.0.20 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई है.

For ensuring the sustainability of a PO, a robust "Business Plan", identifying the sources of finance / funding, for a minimum period of 5 years shall be prepared by the PO in consultation with the POPI. The Business Plan of PO should be vetted by ROs within one year from date of sanction of proposal and a copy of the same may be kept at RO. A grant assistance of Rs.0.20 lakh per PO has been provided to cover expenses towards preparation of the business plan.

vi. पीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्रशिक्षण
Training to Chief Executive Officer (CEO) of POs

पीओ के व्यवसाय का दिन-प्रतिदिन का परिचालन और प्रबंधन करना इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी है जो पीओ के निदेशक मंडल/ शासीय निकाय के मार्गदर्शन के तहत किया जाना है. पीओ की कार्यपद्धति के विभिन्न पहलुओं पर बर्ड द्वारा विकसित मानक मॉड्यूल के आधार पर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के परामर्श से प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं/ आरएसए/ अन्य व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से पीओपीआई द्वारा सीईओ को प्रशिक्षित किया जाएगा.
Day to day operations and management of the business of PO is the responsibility of its Chief Executive Officer (CEO) under the guidance of the BoDs / Governing Body of the PO.The CEO shall be trained by the POPI through the reputed training institutions /RSA/ other professional agencies, in consultation with RO of NABARD, based on the standard modules developed by BIRD on various aspects of PO functioning.

vii नए उत्पादक संगठनों (पीओ) की हैंडहोल्डिंग/ का पोषण करने हेतु पीओपीआई को सहायता
Support to POPI for handholding/ nurturing of POs

पीओ का संवर्धन करने, पोषण करने और हैंडहोल्डिंग के लिए पीओपीआई जिम्मेदार होगी. इसके लिए पीओपीआई को वार्षिक सीमा रु.1.00 लाख प्रति पीओ के साथ प्रदर्शन-आधारित अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी.

POPI shall be responsible for promoting, nurturing and handholding of POs. Performance-based grant support shall be provided to the POPI for the same, with an annual cap of Rs. 1.00 lakh per PO.